

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-9/आ०-03-25/2026(स्वा०)/पटना, दिनांक

डा० पंकज कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बन्दरा, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-2000 दिनांक-06.06.2026 द्वारा दिनांक-04.06.2026 को घटित अग्निकाण्ड के समय प्रसाद क्लिनिक, मुजफ्फरपुर के ICU में कार्य करने एवं आगलगी के दरम्यान मरीज को छोड़कर फरार होने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है। वे प्रायः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बन्दरा, मुजफ्फरपुर से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं। सरकारी सेवा में रहने के बावजूद उनके द्वारा निजी अस्पताल में सेवाएँ दी जाती हैं। सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-2572 दिनांक-06.06.2026 द्वारा डा० कुमार के विरुद्ध इसी कदाचार को प्रतिवेदित किया गया। इससे उनका पदीय दायित्व के प्रति निष्ठा संदिग्ध होती है।

2. डा० कुमार को सरकारी सस्थान से अनुपस्थित रहकर प्रसाद क्लिनिक में कार्य करने एवं अपातकालीन स्थिति में मरीजों को छोड़कर फरार होने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के अधीन निलंबित किया जाता है।

3. डा० कुमार का निलंबन अवधि हेतु मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. डा० कुमार को निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. संदर्भित आरोपों की जाँच हेतु इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ०-03-25/2026(स्वा०).587(9)...../पटना, दिनांक 09.06.26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर /सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव/सचिव, स्वा० विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डॉ० पंकज कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बन्दरा, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वा० विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

09/06/2026
सरकार के अवर सचिव।